"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल 2007—चैत्र 13, शक 1929

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

आदेश

क्रमांक/एफ 7-4-2001/15-02/2007.— सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त रिपोर्ट से राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है कि राज्य के कतिपय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियां का पुनर्गठन किया जाए. अतएव राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार "पुनर्गठन योजना" तैयार करते हुये यह आदेश जारी करती है कि इस "पुनर्गठन योजना" को कार्यान्वित किया जाए :-

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की "पुनर्गठन योजना, 2007"

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-**

   1. इस योजना को "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2007" के नाम से जाना जाएगा.
   2. यह योजना राज्य सरकार द्वारा नियत तिथि से ऐसे उपान्तरणों पश्चात् जो राज्य सरकार आवश्यक समझे प्रभावशील होगा.
   3. यह योजना छ. ग. राज्य की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगा, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन के कॉलम (2) में अधिकथित है.

2. **परिभाषाएं** - इस योजना में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960.

(ख) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागत: या पूर्णत: अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन.

(ग) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हों.

(घ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हों.

(ङ) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परंतु जिसको इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए.

(च) "बैंक" से अभिप्रेत है, छ. ग. राज्य की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक.

(छ) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है वह तिथि जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये घोषित करें कि उस तिथि से यह योजना प्रभावशील होगी.

3. **पुनर्गठन की रीति :- पुनर्गठन**

(क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागत: या पूर्णत: अन्तरित करके ; या

(ख) किसी सोसाइटी को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके ; या किसी सोसाइटी या किन्हीं सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) में उल्लिखित रीतियों से पुनर्गठन किया जाएगा.

4. **पुनर्गठन :- नियत तिथि से -**

(1) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा.

(2) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे.

(3) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा.

5. **सदस्यता, आस्तियाँ एवं दायित्व :-**

(1) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों.

(2) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे.

6. **रजिस्ट्रेशन/निरसन :-**

(1) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा.

(2) जहां आवश्यक हो वहां ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा रद्द किया जावेगा.

7. **प्रबन्ध :-**

(1) प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहां कहीं निर्वाचित प्रबंध समिति होगी, वह कार्य करने से परिविरत हो जाएगी तथा सक्षम संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक अधिनियम की धारा 53 (13) के अधीन किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेंगे.

(2) नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध, उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति में निहित होगा.

8. **कर्मचारी वृन्द :-**

(1) नवीन सोसाइटियों में प्रबंधक की नियुक्ति बैंक द्वारा की जाएगी.

(2) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारी वृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे.

9. **अधिकार, हित और कर्त्तव्य आदि :-**

(1) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्त अधिकार, हित, कर्त्तव्य बाध्यताएं आदि उनमें ही निहित होगी.

(2) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्त अधिकार, हित कर्त्तव्य बाध्यताएं आदि निहित होगी.

10. **विवाद :-** इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारी वृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन निराकृत किया जाएगा.

11. **अभ्यावेदन एवं उसका निराकरण :-**

(1) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटी को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 7 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे.

(2) इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 7 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति लिखित अभ्यावेदन रजिस्ट्रार के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा.

(3) प्राप्त अभ्यावेदनों को रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 5 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा.

(4) राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण यथाशीघ्र किया जाएगा.

(5) अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

12. **बैंक का परामर्श :-** इस योजना की प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 3 दिवस की समयावधि में बैंक की प्रबंध समिति उस पर विचार करके योजना के संबंध में परामर्श लिखित रूप में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगी. ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी.

13. **योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिये आदेश जारी करने की शक्तियां :-** इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिये राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो. यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे.

संलग्न :- अनुसूची - एक
अनुसूची - दो
अनुसूची - तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible] सचिव.

अनुसूची – एक

क्र	वि[illegible]न सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
		जिला – राजनांदगांव	
1	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. औंधी पं. क्र.–7	कंदाडी, पीटेपानी, आमाकोडो, हलोरा, बडमा, मुरझर, कोहका, बेलगांव, कांडे, रातवाही, मदनवाड़ा, खुलेटी, हुरके, बोरकन्हार [illegible]ववर, मुंजाल, कुडकाल, दाद्दरे	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. मानपुर पं.क्र –6
2	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. मानपुर पं.क्र.–6	जक्के, पदभ[illegible], कोहका, घोड़ागांव, भादु[illegible], कुगुडकंट्टा, उमरपाल, कहडबरी, अड़जाल, सिवनी	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. भर्रीटोला प.क्र. – 8
3	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहला पं.क्र.–13	देवरसुर, कोहडा[illegible]र, लमती, गुलमौहा	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. रेंगाकठेरा पं.क्र.–11
4	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. गोटाटोला पं.क्र.–5	डूंडेरा,	
5	आ.जा. सेवा सहका[illegible] समिति मर्या. चिल्हाटी पं.क्र.–3	परसाटोला, कातुलबाही, संसारगढ, पीपरखार, [illegible]गरा, दुरेटोला	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या रेंगाकठेरा
6	आ.जा. सेवा सहकारी समिति [illegible]. ढाढूटोला पं.क्र.–4	केकतीटोला, सोनसायटोला	
7	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. चौकी पं.क्र.–1	बाहमणभेडी, तेलीटोला, गुन्दरदेही, किलारगौंदी	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. ढाढूटोला
8	सेवा सहकारी समिति मर्या. रामपुर	मोखली, छुईखदान, सुकरी	सेवा सहकारी समिति मर्या. सिंघोला पं.क्र. –32
9	सेवा सहकारी समिति मर्या. उपरवाह प.क्र. 707	इंदावानी, बैगाटोला, ककरेल, महुवाभाटा, बिरेझर, थरहद,	वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्या. सोमनी
10	सेवा सहकारी समिति मर्या. पदुमतरा प.क्र. 950	परसबोड	सेवा सहकारी समिति मर्या. उपरवाह
11	सेवा सहकारी समिति मर्या. कोकपुर प.क्र. 117	सगिनकछार	सेवा सहकारी समिति मर्या. तिलईरवार प. क्र. 1159
		चिरचारीखुर्द, सोमाझि[illegible]या, तुमडीलेवा, करेठी	सेवा सहकारी समिति मर्या. खुर्सीटिकुल प.क्र. 1110
12	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. कुमरदा पं.क्र.–1108	बंशी बंजारे	
13	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. तिलईवार पं.क्र.–1108	[illegible]नेरी	सेवा सहकारी समिति मर्या. डोंगरगांव प. क्र.–2020
14	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. मटिया पं.क्र.–504	परेवाडीह, रानामटिया	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या उमरवाही पं.क्र.–573
		तुमडीकसा, बनसवागांव, जामनारा, गोवालिनडीह, अरजकुंड, माटराखुच्ची	सेवा सहकारी समिति मर्या. रतनभाट प.क्र 1308
15	सेवा सह[illegible]री समिति मर्या. साल्हेटोला पं.क्र. –	केशवटोला	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या बम्हनी चारभाटा पं.क्र – 153
16	सेवा सहकारी समिति मर्या. रूवातला पं.क्र. –944	गाडाभवर, चीपा, डोरकी, कुसमी	सेवा सहकारी समिति मर्या. मुसरा पं.क्र –1068
		खैरबना	सेवा सहकारी समिति मर्या. भोलापुर प.क्र. – 1574
		डारागांव	सेवा सहकारी समिति मर्या. बेलगांव प. – 87
17	सेवा सहकारी समिति मर्या. ढारा पं.क्र. –1436	नागतराई, हरिनसिंगी, धुसेरा, जटकनार	
		भर्रीटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. पनियाजोब
18,	सेवा सहकारी समिति मर्या. पनियाजो प.क्र. – 1069	ठाकुरटोला	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या मडयान प.क्र. – 1375
		खवाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. [illegible]

क्र	विघमान् सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
19	सेवा सहकारी समिति मर्या. मुसरा प.क्र. – 1068	मडीतराई	सेवा सहकारी समिति मर्या बेलगांव
20	सेवा सहकारी समिति मर्या. बेलगांव प.क्र. – 87	कातुलवाही	सेवा सहकारी समिति मर्या ढारा
21	सेवा सहकारी समिति मर्या. लाबनगर प.क्र. – 144	पटपर, भरवाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. मेढा प.क्र. – 348
		उरईडबरी, झंडातालाब	सेवा सहकारी समिति मर्या. कोल्हियापुरी
22	सेवा सहकारी समिति मर्या. कोल्यिापुरी प.क्र. – 636	पारागांव खुर्द	सेवा सहकारी समिति मर्या मुसरा
23	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. सीतागोटा प.क्र.–1387	पीटेपानी, मासपहार, बुडहानछापर	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. बोरतालाब प.क्र. – 1073
		लमनाढार	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या मडीयान
24	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. मडयान प.क्र.–1375	चारभाठा, मोहनपुर, आलेदण्ड, भगवानटोला, घोरतलाव, फत्तेगंज, बंजारी, बजरंगीडीह	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. खोभा प.क्र.–702
25	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. मुडीपार प.क्र.–878	लछना, गातापार जंगल, नवागांव, गाडघाट, निमउटोला, साकरी, बरमांव, करेलागढ़, मलईदाह, टेमरी, दल्लीखोर, महुआढार, बोरला, सहसपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या इटार
26	सेवा सहकारी समिति मर्या. इटार प.क्र.–981	टेकापार	सेवा सहकारी समिति मर्या मुडीपार
		कलकसा	सेवा सहकारी समिति मर्या बढ़ईटोला
27	सेवा सहकारी समिति मर्या. बढाईटोला	गर्रापार, खपरीसिरदार	सेवा सहकारी समिति मर्या मुडीपार
		धनेली, देवारीभाट	सेवा सहकारी समिति मर्या. अमलीपारा प. क्र.–979
28	सेवा सहकारी समिति मर्या. आमदनी प.क्र.– 116	कोहकाबोड, कोडेनवागांव	
29	सेवा सहकारी समिति मर्या. जालबांधा प.क्र. –,975	मडौदा, बफरा, जुनवानी, बोदरी, बरसूली, बोधागढ़	सेवा सहकारी समिति मर्या. अतरिया प.क्र. – 102
		हरदी, राहुद	समिति सलोनी
30	सेवा सहकारी समिति मर्या. सलोनी प.क्र.– 1019	चंदेनी, अछोली, खोरी, डूंडा	सेवा सहकारी समिति मर्या. अतरिया
		करगतला	सेवा सहकारी समिति मर्या. जालबांधा
		पासलखेरा, मण्डला, कामठा	सेवा सहकारी समिति मर्या. डोंकरभाठा प. क्र.– 82
31	सेवा सहकारी समिति मर्या. अमलीपारा प.क्र. – 979	ढोलियाकन्हार, केराबोरी, पेण्ड्रीखुर्द	
32	सेवा सहकारी समिति मर्या. झुरानदी प.क्र.–	आमगांव, लंझीयाटोला, बागमर्रा	सेवा सहकारी समिति मर्या. गोपालपुर
33	सेवा सहकारी समिति मर्या. गोपालपुर प.क्र. – 1063	खुरसूली, गेडरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. झुरानदी
34	सेवा सहकारी समिति मर्या. धोधा प.क्र.– 962	कासीटोला, हरडंडा, मजगांव	सेवा सहकारी समिति मर्या. बरबसपुर प. क्र.– 959
35	सेवा सहकारी समिति मर्या. हनईबन प.क्र.– 1491	भुरभुसी, टीकरीपारा	सेवा सहकारी समिति मर्या. गंडई प.क्र.– 898

क्र	विघमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
		जिला – कवर्धा	
1	सेवा सहकारी समिति मर्या. कुरूवा पं.क्र. –1244	धनोरा, कटोरा, खोलवा, टाटावाही, पिरचाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. बिडोरा पं.क्र. –1400
2	सेवा सहकारी समिति मर्या. बिडोरा पं.क्र. –1400	ब्राहमणटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. सह. लोहारा पं.क्र. –1692
3	सेवा सहकारी समिति मर्या. बचेडी प.क्र. –994	छीरबांधा, सिंगरापारा, माहराटोला, बेलहारी, कुटकीपारा	
4	सेवा सहकारी समिति मर्या. सह. लोहारा पं. क्र.–1692	उडियाखुर्द, उडियाकला, कारेसरा, कुम्हारदनिया, बुधवारा, चिलमखोदरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. बचेडी पं.क्र. –994
5	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. जुनवानी पं.क्र.–1401	जुनवानी, सरोधीनवागांव, मिनमिनिया, भालापुरी, मोहनपुर, कटंगीखुर्द, बोदलपानी, पालक, बंसुला, गंजईडीह, छिंदहा, तेलीटोला, अकलाआगा, सौरू, बोगदा?	सेवा सहकारी समिति मर्या. कुरूवा पं.क्र. – 1244
		चितखुरीखुर्द, कोयंलारझोरी, कनहारी, चितकुरीकला, खम्हेरहा, रानीगुडा, धानीखुंटा, पण्डरीपानी, करमंदा, कोदा, कटंगीकला, कुदमा, बछरूकोन्हा, घुंघुवाडहरा	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. रेंगाखारकला पं.क्र.– 2036
6	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. चिल्फी पं.क्र.– 2021	बम्हनी, अग्री, रोल, रोलप्लाट, सोपखार, हटवार, सुतिया, नागवाही	
7	सेवा सहकारी समिति मर्या. खेरबनाखुर्द प.क्र. –925 (बोडला)	खुर्सीपार, मडियाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. प्रभाटोला
		मीनमीनिया, मोतिमपुर, मातिनपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या. राजानवागांव पं.क्र.– 926
		धोधा, खेरबनाखुर्द	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. बोडला पं.क्र.– 2030
8	सेवा सहकारी समिति मर्या. पनेका (दशरंगपुर) पं.क्र.– 27	खंडसरा	सेवा सहकारी समिति मर्या. दशरंगपुर प. क्र.–28
9	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनपुरी (दशरंगपुर) पं.क्र.– 1118	अमलीडीह, कृतबांधा	सेवा सहकारी समिति मर्या. मरका (पिपरिया)
10	सेवा सहकारी समिति मर्या. बिरकोना	खैरझिटी	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनपुरी प.क्र. 2012
11	सेवा सहकारी समिति मर्या. झिरोनी प.क्र.– 21	कटेली	सेवा सहकारी समिति मर्या. बम्हनी
		झिन्दाडुबहा	सेवा सहकारी समिति मर्या. बिरकोना प. क्र. –391
12	सेवा सहकारी समिति मर्या. बम्हनी प.क्र. 17	झलका	सेवा सहकारी समिति मर्या. कवर्धा पं.क्र. –27
13	सेवा सहकारी समिति मर्या. धरमगढ़ प.क्र. –1688	भिखमपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या. ठाठापुर पं.क्र. –161
14	सेवा सहकारी समिति मर्या. पिपरिया प.क्र. –888	सेमो, भानुपरी, सिंघनपुरी	सेवा सहकारी समिति मर्या. सोनबरसा पं क्र.– 945
		मक्के	सेवा सहकारी समिति मर्या. लखनपुर
15	सेवा सहकारी समिति मर्या. मरका पं.क्र.– 1123	घिरघोसा, घोरकारा, लघान	सेवा सहकारी समिति मर्या. खपरी पं.क्र. 133
		पथर्रा, जोगीपुर, आंछी, बानो	सेवा सहकारी समिति मर्या. लखनपुर
16	सेवा सहकारी समिति मर्या मोहगांव	कोइलारीकापा , मजनूकापा	कुम्ही

अनुसूची – दो

क्र0	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
	जिला – राजनांदगांव, कवर्धा		
	निरंक		

अनुसूची – तीन

क्र0	विधमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुडा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
		जिला – कवर्धा	
1	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. जुनवानी	जुनवानी, सरोधी, नवागांव, मिनमिनिया, भालापुरी, मोहनपुर, कटंगीखुर्द, बोदलपानी, पालक, बंसुला, गंजईडीह, छिंदहा, तेलीटोला, अकलाआमा, सोरू, बोगदा	सेवा सहकारी समिति मर्या. कुरूवा
		छितकुरीखुर्द, कोयलारझोरी, कन्हारी, छिंतकुरीकला, खम्हेरहा, रानीगुडा, घानीखुंटा, पंडरीपानी, करमंदा, बोदा, कटंगीकला, कुरूमा, बघरू, कौहा, घुघवादाहरा	आ. जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. रेंगाखार कला
2	सेवा सहकारी समिति मर्या. खेरबनाखुर्द	खुर्सीपार, मरियाटोला	सेवा सहकारी समिति मर्या. प्रभाटोला
		मिनमिनिया, मोतिमपुर	सेवा सहकारी समिति मर्या. राजानवागांव
		धोधा, खैरबनाखुर्द	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. बोड़ला
		जिला – राजनांदगांव	
		निरंक	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.